मध्य प्रदेश शासन
ou foHkkx

e/;in'k e ou vijk/kk dh fLFkfr
अर्धवार्षिकीय प्रतिवेदन
t/ykb/ 2007

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल

ध्वन अपराधों की छः माही समीक्षा
(1 जनवरी 2007 से 30 जून 2007)

प्रस्तावना –

म0प्र0 में कुल 94668 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वन हैं जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत एवं देश के कुल वन क्षेत्रों का 12 प्रतिशत है । प्रदेश के वनों में साल, सागौन, शीशम आदि प्रजातियों की बहुमूल्य काष्ठ पाई जाती है । वन क्षेत्रों में कोयला, फर्शी–पत्थर, लौह अयस्क आदि खनिज पदार्थ भी बहुतायत में पाये जाते हैं । यहां के वनों में अनेक प्रकार की जैव विविधता विद्यमान है । इस प्रकार प्रदेश के वन, वन सम्पदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं । वर्तमान में वनो पर बढ़ती जनसंख्या एवं द्रुत औद्योगिकीकरण एवं विकास के कारण वनों पर दबाव बढ़ गया है । लोगों में वन सम्पदा के शोषण की प्रवृति बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के वन अपराध होते हैं। प्रदेश में घटित वन अपराध अवैध कटाई, वनोपज का अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, वन भूमि अतिक्रमण, अवैध शिकार, आरा मशीन एवं अग्नि दुर्घटनाओं के होते हैं। वन संरक्षण पर प्रभावी नियंत्रण एवं उसके लिये समुचित रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से शासन के ज्ञाप क्रमॉक एफ–14/40/88/10/2 दिनांक 13–10–1995 अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) शासन को प्रत्येक छैःमाही में वनों में अवैध कटाई व अन्य अपराधों की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश है। इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2007 की प्रथम छैःमाही में प्रदेश के वनों में घटित वन अपराधों की समीक्षा की गई । इसके पूर्व वर्ष 2006 की प्रथम एवं द्वितीय छःमाही की समीक्षा रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई थी । समीक्षा में पाये गये मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. <u>पंजीकृत वन अपराध</u> –

प्रदेश में विगत तीन छःमाहियों में दर्ज किये गये कुल वन अपराधों की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है –

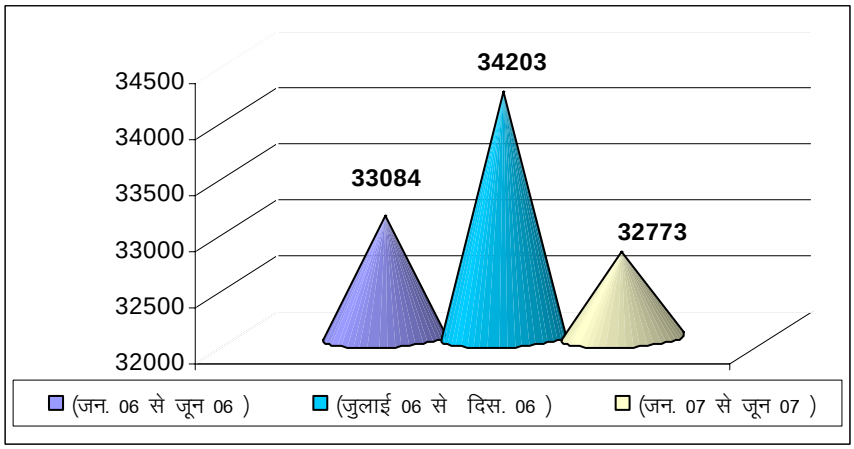

इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में औसतन 33000 वन अपराध प्रकरण प्रत्येक छःमाह में दर्ज होते हैं। वर्तमान छःमाही में कुल 32773 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये, जो विगत वर्ष की इसी छःमाही में दर्ज प्रकरणों के लगभग बराबर ही है ।

वन अपराधों की श्रेणी वार पंजीबद्ध प्रकरणों की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है–

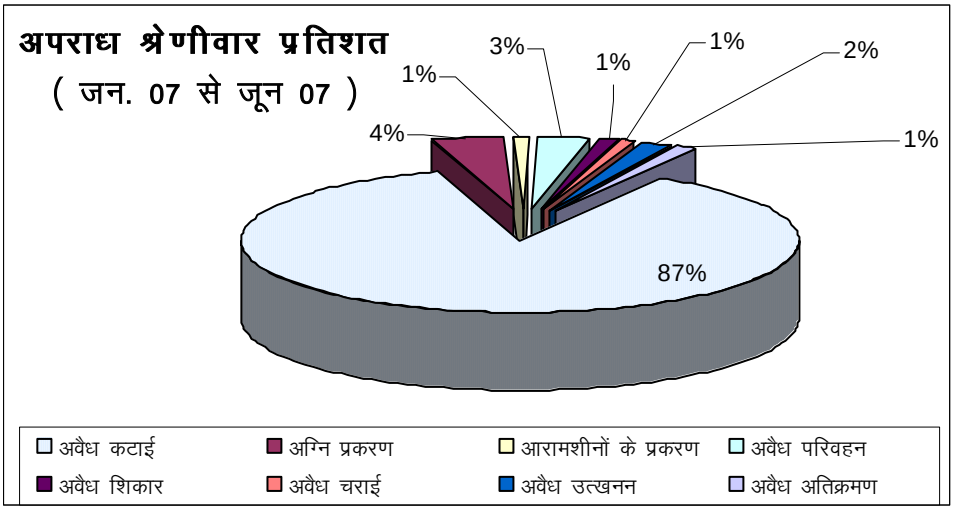

इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में सर्वाधिक प्रकरण अवैध कटाई के पंजीबद्ध किये जाते हैं, जो कुल पंजीबद्ध वन अपराधों का लगभग 90 प्रतिशत होते हैं । वर्तमान में अवैध कटाई के प्रकरण 88 प्रतिशत हैं । शेष 12 प्रतिशत में अग्नि दुर्घटना , अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अवैध अतिक्रमण, अवैध चराई, अवैध शिकार आदि के प्रकरण होते हैं । वर्तमान छःमाही में दूसरे नम्बर पर अग्नि के प्रकरण जो कुल 4 प्रतिशत हैं, दर्ज किये गये । अवैध परिवहन के प्रकरण तीसरे स्थान पर रहे जो कुल प्रकरणों का 3 प्रतिशत हैं । वर्ष 2007 की प्रथम छैमाही में दर्ज किये गये वृत्तवार वन अपराध प्रकरणो का विस्तृत विवरण प्रपत्र–1 में संलग्न है।

1.1 प्रपत्र के परीक्षण से स्पष्ट है कि 32773 प्रकरणों में से 28807 प्रकरण अवैध कटाई के हैं। भोपाल, सागर, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, खण्डवा तथा छतरपुर वृत्तों में अवैध कटाई के सर्वाधिक प्रकरण पंजीबध्द हुये । अवैध कटाई के 28807 प्रकरणों में 15946. 73 घन मीटर काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी जप्त की गई तथा 171521वृक्षों की अवैध कटाई हुई। प्रदेश में अवैध कटाई के प्रकरणों की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

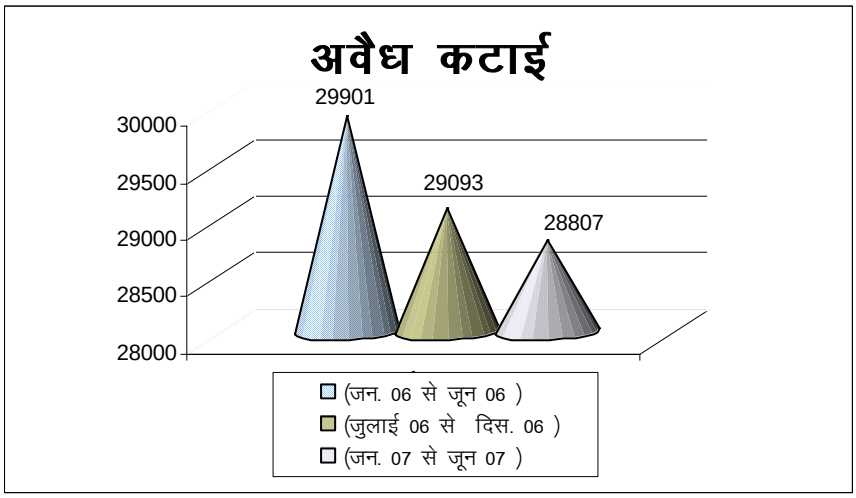

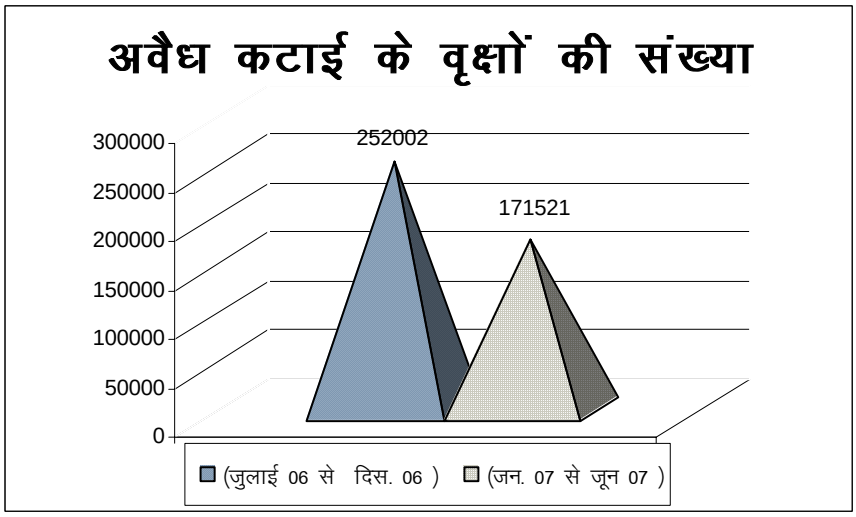

इससे स्पष्ट है कि विगत 2 छःमाहियो के सापेक्ष अवैध कटाई के प्रकरणो मे कमी आई है।

1.2 प्रदेश में अवैध परिवहन के कुल 1127 प्रकरण दर्ज हुये है। खण्डवा, सागर शिवपुरी तथा होशंगाबाद वृत्तों में अवैध परिवहन के अधिक प्रकरण पंजीबध्द हुये। 1127 अवैध परिवहन के प्रकरणों में 380 वाहन जप्त किये गये। बैल गाड़ियॉ और सायकिलें जो जप्त की गई हैं उनकी संख्या जप्त वाहनों में सम्मिलित नहीं की गई हैं। विगत 3 छःमाहियों में अवैध परिवहन के प्रकरणों में जप्तशुदा वाहनों की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

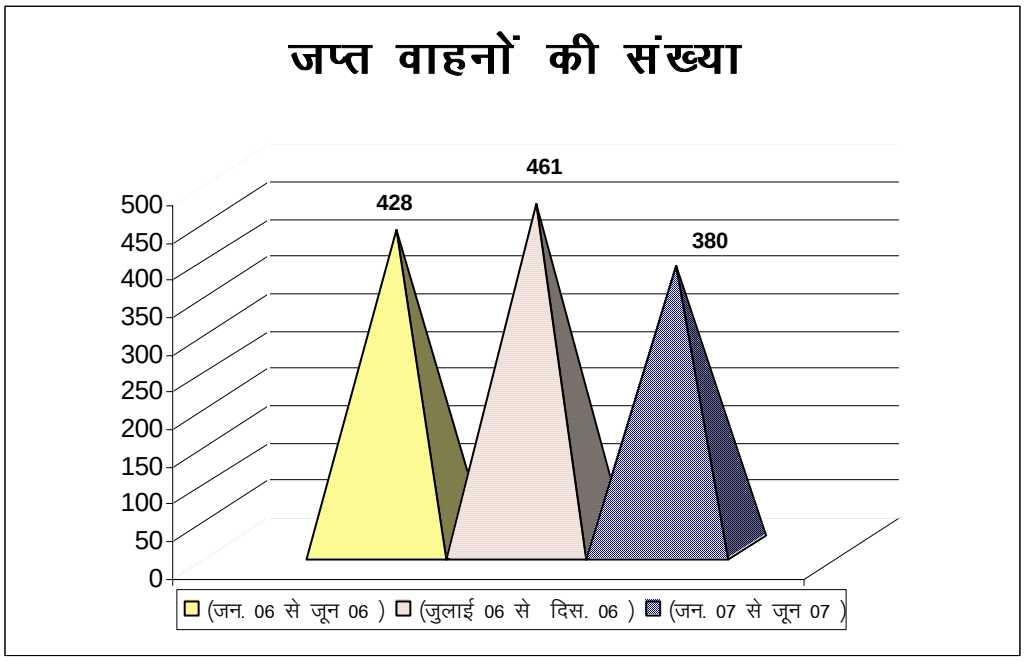

इससे स्पष्ट है कि विगत छः माहियो की अपेक्षा जप्त वाहनों की संख्या में कमी आई है। परन्तु तमाम प्रयासों के बाबजूद भी एक छैमाही में 1127 अवैध परिवहन के प्रकरण होना एक चिन्तनीय स्थिति है ।

1.3 वन अपराधों में अवैध उत्खनन के प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं । इस वर्ष के द्वितीय छैमाही में 654 अवैध उत्खनन के प्रकरण पंजीबध्द हुये है विगत 3 छःमाहियों में पंजीबद्व प्रकरणों की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

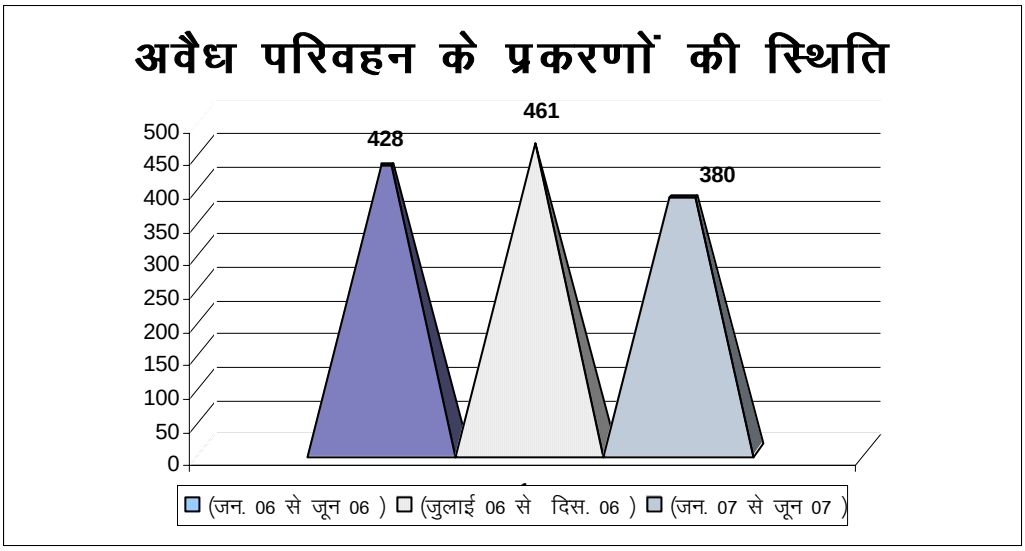

ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर तथा रीवॉ वृत्तों के वन क्षेत्रें में सर्वाधिक प्रकरण पंजीबध्द किये गये। समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि वन सीमा के 250 मीटर के अन्दर

खदानें स्वीकृत किये जाने के फलस्वरुप आस–पास के वनों में भारी दबाब पड़ रहा है एवं खदान मालिक जब–तब वनों से अवैध खनन कर अवैध खनिज को अपने पिटपास जारी कर वैध बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर कर रहे हैं । जिलों में खनिज विभाग का नियंत्रण प्रभावी प्रतीत नहीं होता है और उनका ठेकेदारों व्दारा अवैध पिटपास जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण इस प्रयासों को बल मिल रहा है । वन विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी जब भी कार्यवाही करते हैं तो उन पर न केवल खदान मालिकों का अपितु प्रशासन का भी दबाब पड़ता है ।

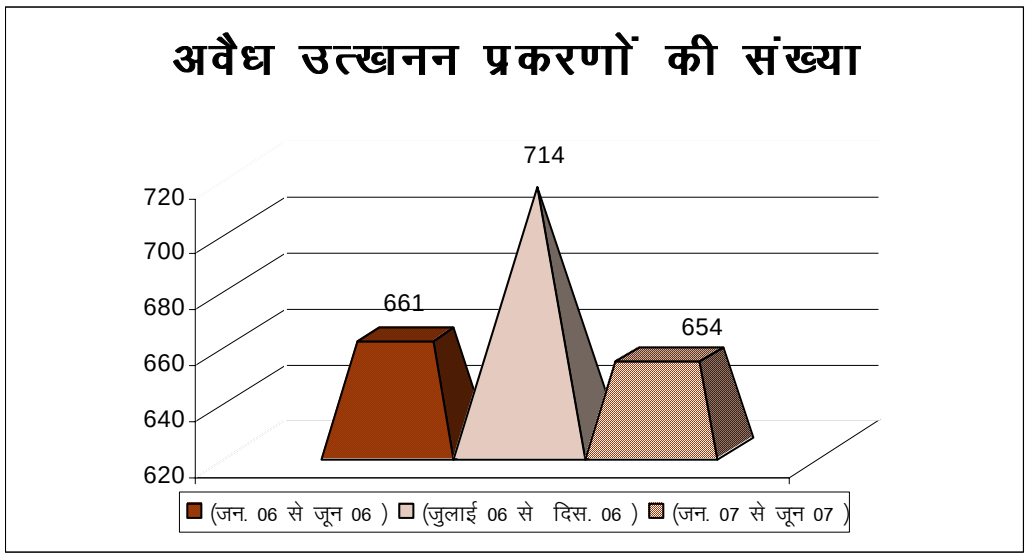

1.4 वर्ष की प्रथम छःमाही में अवैध अतिक्रमण के 346 प्रकरण दर्ज किये गये तथा 1420 हे0 वन क्षेत्रें में नवीन अतिक्रमण किया गया। विगत 3 छःमाहियों में अतिक्रमण के प्रकरण एवं अतिक्रमित क्षेत्र की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

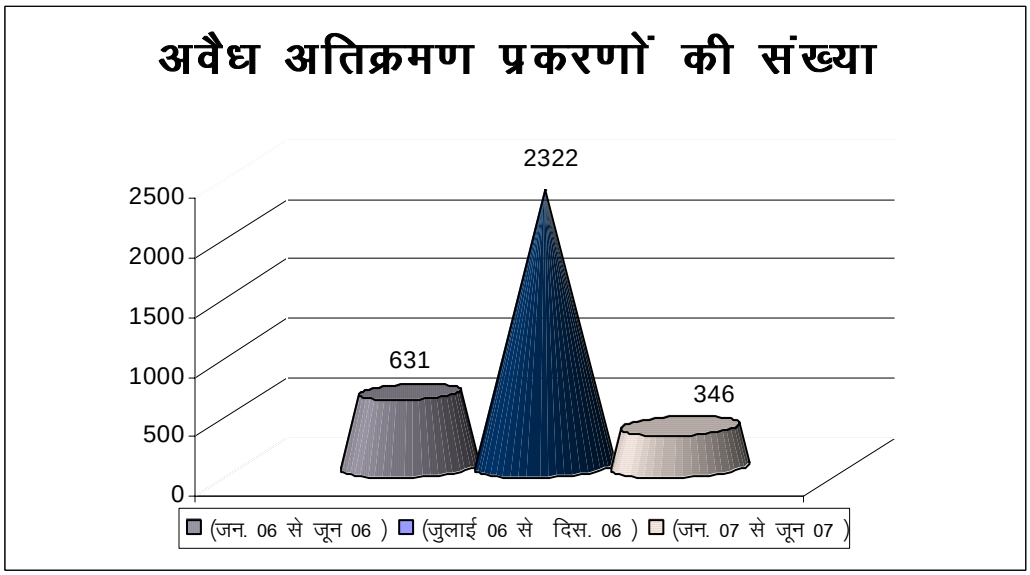

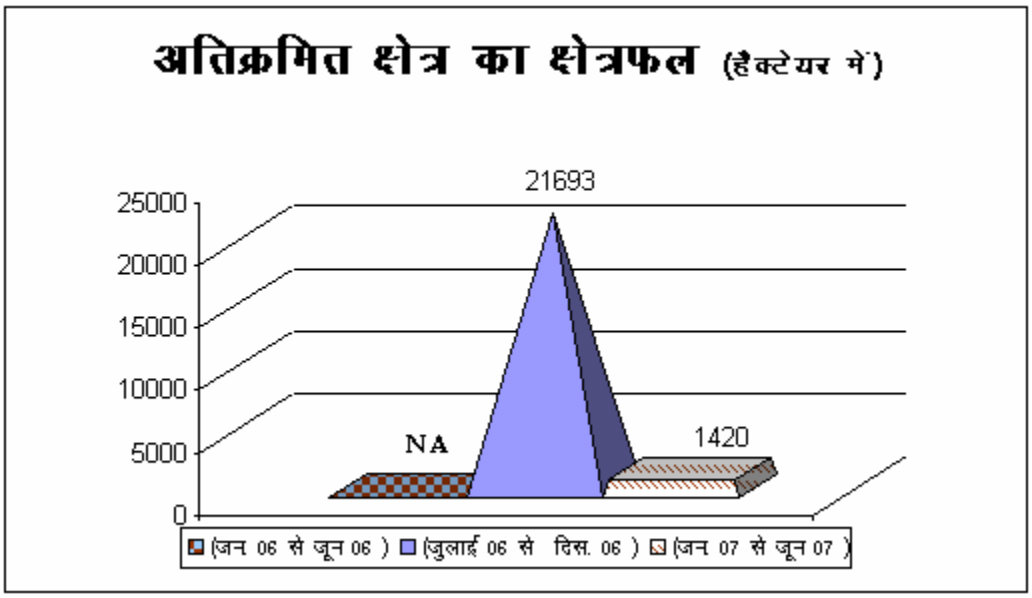

यहॉ यह भी लेख करना उचित होगा कि अधिकांश अवैध अतिक्रमण के प्रकरण इसलिये पंजीबध्द नहीं किये जाते क्योंकि उन्हें प्रयास के समय ही रोक दिया जाता है तथा पीओआर नहीं काटा जाता । अर्थात् प्रयास के समय ही अतिक्रमण विफल कर दिया जाता है एवं बेदखल करने की नौबत नहीं आती । इस बार बड़े पैमाने पर हरदा, बैतूल, मण्डला, सागर, होशंगाबाद, सीधी इत्यादि जिलों में अतिक्रमण की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं जिस पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अनेक गैर शासकीय संगठन एवं कुछ राजनैतिक दल प्रस्तावित ट्राईबल बिल की आड़ में आदिवासियों को उकसा कर वन भूमि पर अतिक्रमण हेतु प्रेरित कर रहे हैं तथा इसका अधिक से अधिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं । वर्ष की प्रथम छःमाही में कृषि का समय नहीं होने के कारण अतिक्रमण के प्रयास कम ही होते हैं , फिर भी इस वर्ष इसमें 1420.45 हे0 में अतिक्रमण किया जाना चिन्ताजनक है । अतिक्रमण के अधिकतर प्रयास द्वितीय छःमाही में ही होते हैं । इस अतिक्रमण के इस Trend से पता लगता है कि भविष्य में नवीन अतिक्रमण और अधिक होने की संभावना है । इसके लिये प्रशासन एवं पुलिस के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी ।

1.5 इस वर्ष की द्वितीय छैमाही में प्रदेश में अवैध शिकार के 185 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें 145 वन्यप्राणियों का शिकार किया गया। विगत 3 छःमाहियों में अवैध शिकार के प्रकरणों की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

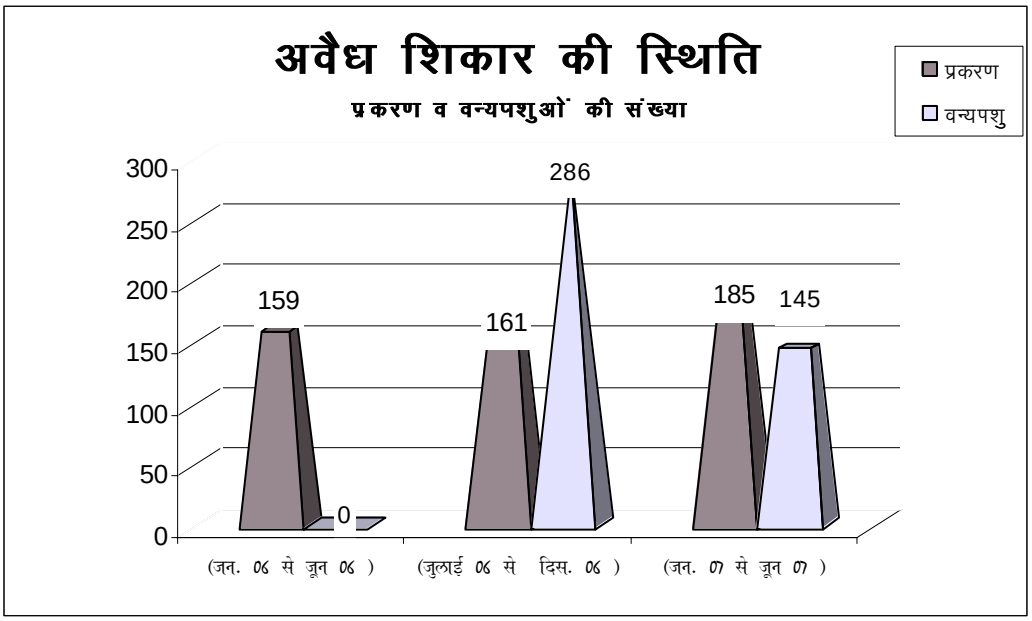

चूँकि अवैध शिकार के प्रकरणों की समीक्षा व संचालन मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा किया जाता है इसलिये इस बाबत वृहद में समीक्षा इस कार्यालय व्दारा नहीं की गई। फिर भी अवैध शिकार के सर्वाधिक प्रकरण भोपाल (29), शहडोल (25), रीवा (28) एवं जबलपुर (21) वृत्तों में प्रकरण दर्ज किये गये । वन्यप्राणियों के शिकार की सर्वाधिक संख्या भोपाल वृत्त में 29 पाई गई। अन्य वृत्तों में भी शिकार की घटनायें हुई।

1.6 वर्ष 2007 की प्रथम छैःमाही में आरा मशीनों के विरूद्ध 193 प्रकरण दर्ज किये गये विगत छःमाहियों में आरामशीनों द्वारा किये गये अपराधों के फलस्वरूप पंजीबद्व प्रकरणों की संख्या निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

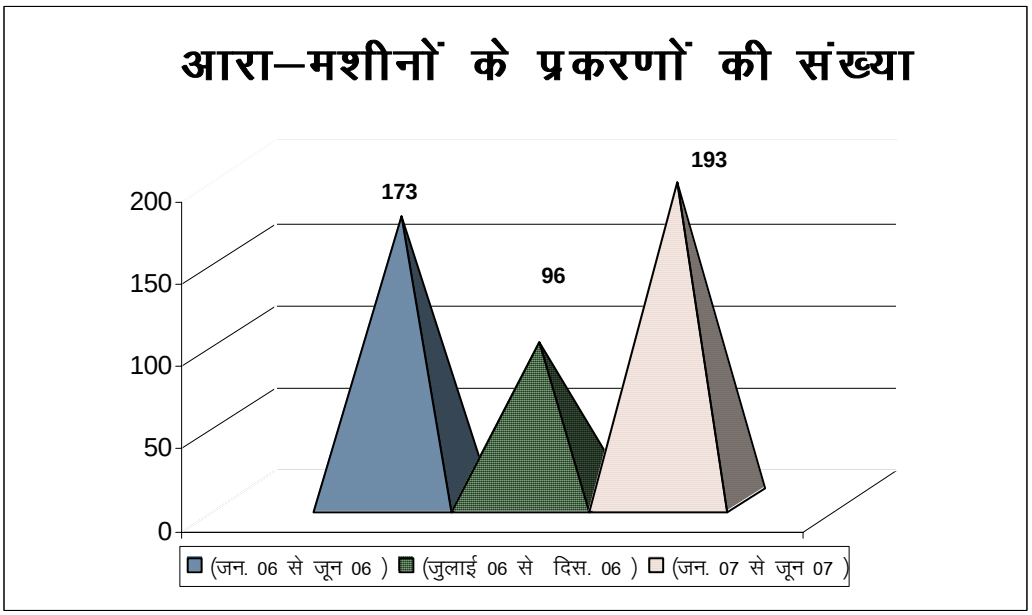

उज्जैन, इन्दौर तथा भोपाल वन वृत्तों में स्थापित आरामशीनों द्वारा सबसे अधिक वन अपराध किये गये। इन अपराधों में मुख्यतः काष्ठ चिरान अधिनियम के अन्तर्गत चिरान काष्ठ का लेखा–जोखा नहीं रखना है। प्रदेश में 4365 आरा मशीने स्थित हैं, जिसमें सर्वाधिक उज्जैन वृत्त में आरामशीनों की स्थापना हेतु राज्य में वन सीमा से 20 किलोमीटर तक प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित होने के कारण उज्जैन क्षेत्र ही सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। हालांकि उज्जैन वृत्त के आरामशीन मालिकों द्वारा केन्द्रीय साधिकार समिति में इस बावत याचिका दर्ज की है कि उनके जिलों में वन क्षेत्र नगण्य होने के फलस्वरूप तथा वन आवरण न होने के कारण उनको आरामशीन चलाने की अनुमति दी जावे । शासन द्वारा भी उनके पक्ष में तर्क दिये गये हैं, परन्तु अभी निर्णय अपेक्षित है। फलस्वरूप आरा मशीन मालिकों द्वारा यदा–कदा आरा मशीने चलाने के प्रयास किये जाते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से नई आरामशीन का लायसेंस बन्द कर दिया गया है । अतः लायसेंस एक बार निरस्त हो जाने के बाद नया लायसेंस मिलना लगभग असंभव हो गया है, इससे आरा मशीन मालिकों में अवैध चिराई की प्रवृत्ति में कमी आनी चाहिये । इसके बावजूद भी प्रदेश में 29 आरा मशीनें जप्त की गई तथा 193 प्रकरण दर्ज हुये । इससे स्पष्ट है कि आरामशीनों के मामलों में विशेषतः उज्जैन वृत्त में जरूरत से ज्यादा उदारता बरती जा रही है ।

2– <u>पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों में जांच की स्थिति –</u>

इस वर्ष की प्रथम छैःमाही में जांच हेतु 32345 प्रकरण प्रस्तुत हुये, जबकि विगत छैःमाही के भी 31094 प्रकरण जांच हेतु लम्बित थे । इस प्रकार कुल 72264 प्रकरण में से मात्र 40213 प्रकरणों में जांच पूर्ण की जा सकी । जांच के अभाव में 4965 प्रकरण कालातीत हो गये, जो विगत छैःमाही से 12 प्रतिशत कम हैं । छैःमाही के अन्त में 41170 प्रकरण अभी जांच हेतु शेष थे। विगत छःमाहियों के प्रकरणों में जॉच की प्रगति की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

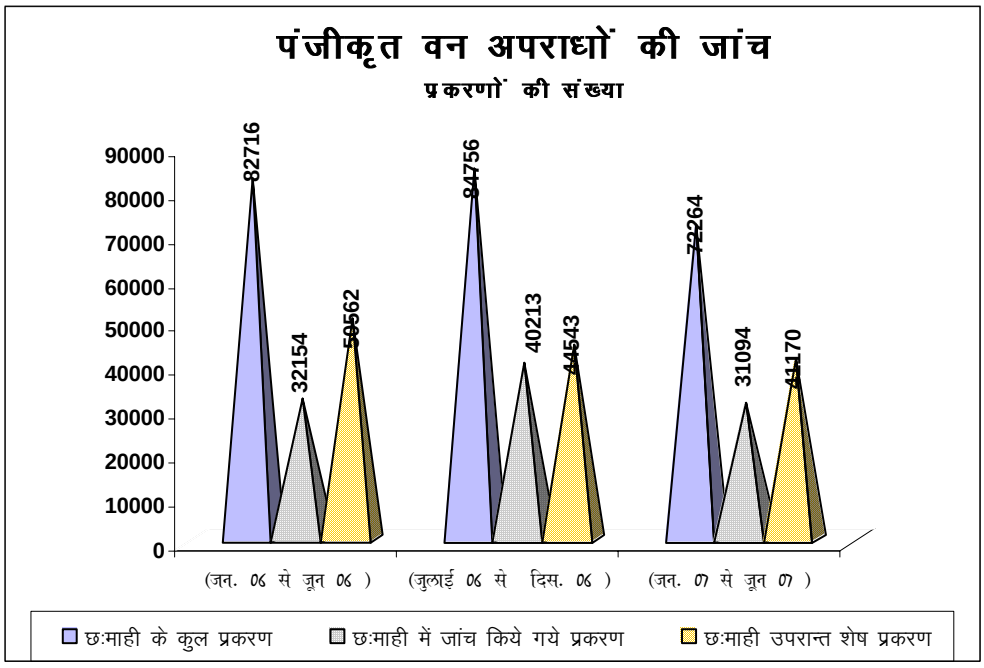

पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों की त्वरित गति से जांच अतिआवश्यक है ताकि अपराधियों के विरूद्ध जल्द कार्यवाही करके उन्हें भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके तथा अन्य को वन अपराधों के प्रति सचेत किया जा सके । राज्य स्तर पर एकत्रित किये गये आंकड़ों से स्थिति अभी भी बहुत उत्साह वर्धक नहीं प्रतीत होती है । उचित व्यवस्था तो यह है कि पंजीकृत प्रकरणों की विवेचना 3 माह के अन्दर पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही की जावे, परन्तु समीक्षा में पाया गया कि विवेचना में अत्याधिक बिलम्व हो रहा है । फलस्वरूप प्रकरणों का निराकरण और अपराधियों को दण्ड समय पर नहीं मिल रहा है, यहां तक कि जांच के अभाव में प्रकरण कालातीत भी हो रहे हैं। परन्तु प्रथम छैः माही की समीक्षा के पश्चात जांच कार्य में वृद्धि तथा कालातीत होने वाले प्रकरणों में 12 प्रतिशत की कमी आई **है** । भविष्य में और अधिक सुधार की उम्मीद है

3– <u>पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों में अभिसंधान की स्थिति</u> –

वन अपराध प्रकरणों में जांच के उपरान्त अभिसंधान का कार्य मुख्यतः उप वन मण्डलाधिकारियों द्वारा किया जाता है। विनिर्दिष्ट वनोपज के प्रकरणों में अभिसंधान वन मण्डलाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2007 के प्रथम छःमाही के अभिसंधान हेतु प्राप्त एवं अभिसंधानित प्रकरणों का वृत्तवार विस्तृत विवरण प्रपत्र–3 में संलग्न है।

वर्ष 2007 की प्रथम छैःमाही में 51927 प्रकरण जांच के उपरान्त अभिसंधान हेतु लम्बित थे। इस अवधि में मात्र 30889 प्रकरण अभिसंधानित किये गये। छैःमाही के अन्त में 21038 प्रकरण अभी अभिसंधान हेतु शेष हैं।

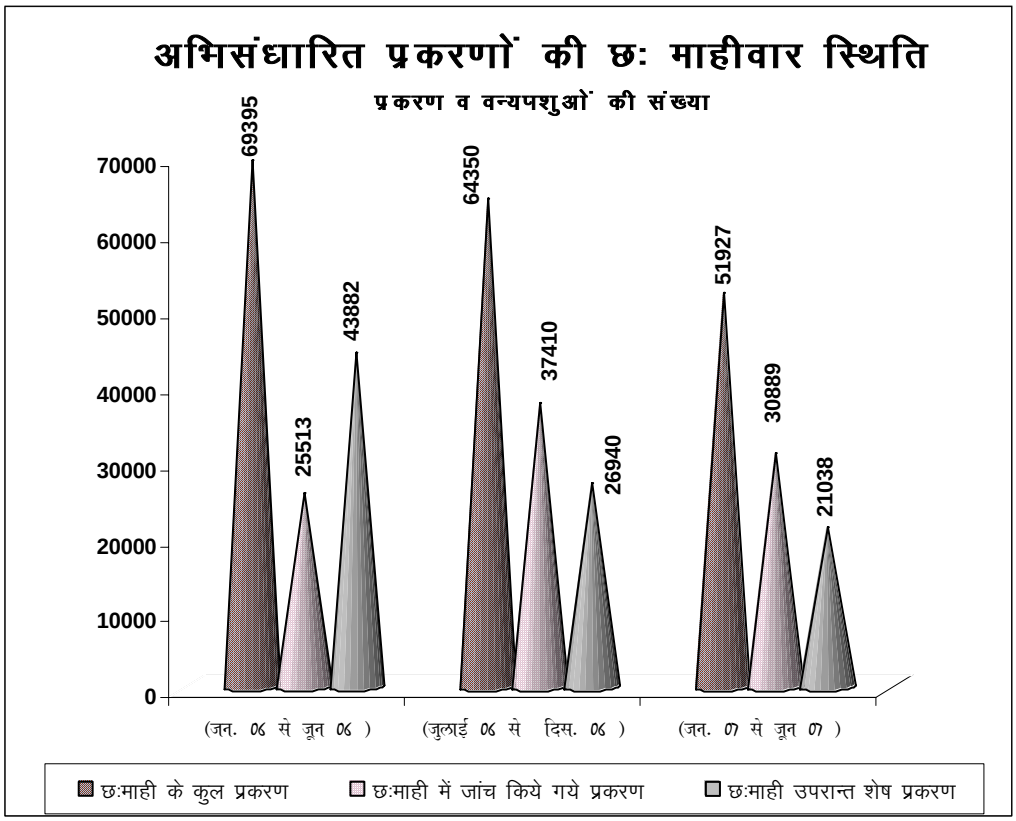

इससे स्पष्ट है कि छःमाही के दौरान प्राप्त प्रकरणों की संख्या के लगभग बराबरर ही प्रत्येक छःमाही में प्रकरणों का अभिसंधान किया जा रहा है। तथा अभी भी अभिसंधान हेतु काफी बड़ी मात्र में प्रकरण लंबित है। समयावधि में अभिसंधान नहीं होने के फलस्वरूप विगत छैःमाही में 310 प्रकरण कालातीत हो गये थे। परन्तु वर्तमान छैःमाही में मात्र 146 प्रकरण ही कालातीत हुये। इस प्रकार अभिसंधान की स्थिति में गुणात्मक सुधार हो रहा है।

4– <u>वन अपराध प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने बावत</u> –

वर्ष 2007 के प्रथम छःमाही कोर्ट में चालान के प्रकरणों की वृत्तवार स्थिति प्रपत्र 4 में संलग्न है। विगत छःमाहियों में कोर्ट में चालान के प्रकरणों की प्रगति की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

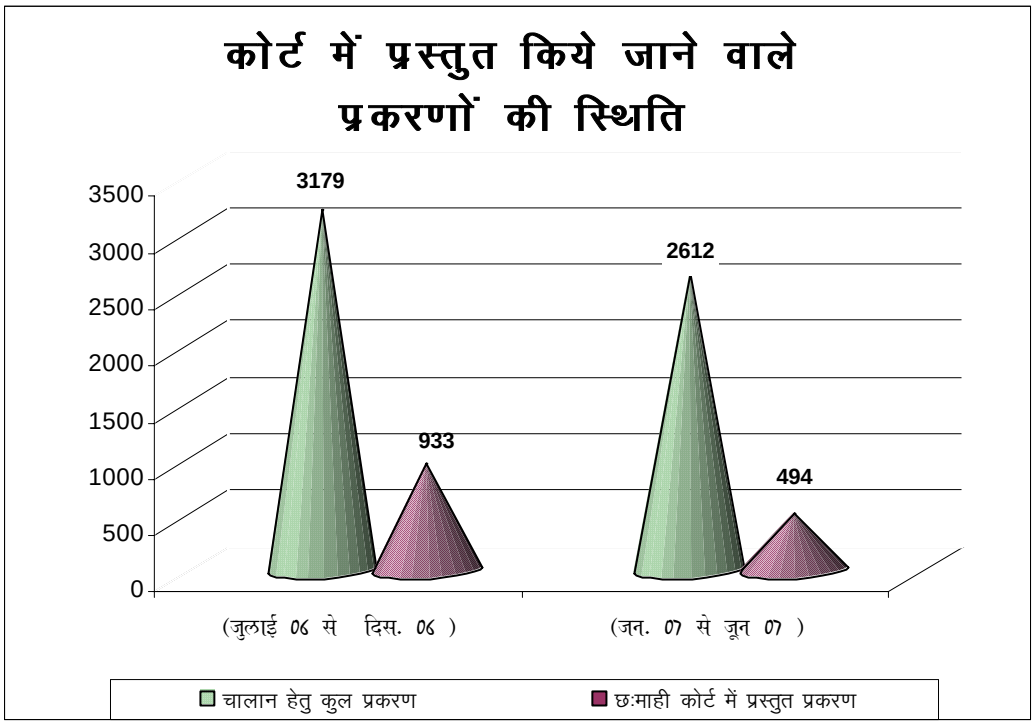

इससे स्पष्ट है कि वर्तमान छःमाही में कोर्ट में चालान हेतु प्रकरणों में कमी आई है। वर्ष 2006 की छःमाही के समीक्षा के पश्चात न्यायालय में दिये जाने वाले प्रकरणों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इससे ऐसा लगता है कि समीक्षा के पश्चात प्रकरणों के विभागीय स्तर पर प्रकरणों का निराकरण अधिक किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं कहीं जा सकती क्योकि जो प्रकरण गंभीर प्रकृति के है एवं आद्तन अपराधियों द्वारा किये जाते है तथा जिन प्रकरणा में अपराधियो द्वारा राजीनामा के आवेदन नहीं दिये जाते उन प्रकरणों को कोर्ट में चालान किया जाना चाहिये ताकि अपराधियों मे वन अपराधों के प्रति अपेक्षित भय पैदा किया जा सके। चूकि वन विभाग में कोर्ट में प्रकरणो का चालान करने एवं उनके अनुश्रवण करने तथा उनकी सही तरीके से पैरवी करने हेतु कुशल अमला नहीं है। और न ही वन विभाग के लिये किसी शासकीय अधिवक्ता की सेवाये ही उपलब्ध है। अतः न्यायालयों की कठिन प्रक्रिया से बचने के लिये वन विभाग में प्रकरणों के विभागीय स्तर पर निराकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है।

वर्तमान वर्ष की प्रथम छैःमाही में 2612 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने थे, जिसके विरूद्ध मात्र 494 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तथा 2025 प्रकरण चालान हेतु शेष हैं। वर्तमान छैःमाही में 1730 प्रकरण न्यायालय में चालान न होने के कारण कालातीत हो गये। कालातीत प्रकरणों में से 1613 प्रकरण केवल शिवपुरी वृत्त के ही हैं ।

5– <u>अभिसंधानित वन अपराध प्रकरणों में वसूली की स्थिति</u> –

वन अपराध प्रकरणों में वन अपराधियों द्वारा राजीनामा दिये जाने की स्थिति में प्रकरणों को अभिसंधानित कर उनसे मुआवजा महसूल की राशि वसूल की जाती है ।

प्रदेश में वर्तमान छैःमाही में 18231 प्रकरणों में रू0 115.82 लाख की राशि वसूली हेतु लम्बित थी, जबकि इस छैःमाही के अंत में 5113 प्रकरणों में रू0 36.21 लाख की राशि वसूल की जाना है। प्रथम छैःमाही में 13118 प्रकरणों में रू0 79.60 लाख की राशि ही वसूल की गई। विगत छैःमाही 42.8 लाख की वसूली शेष थी जो इस छैःमाही के अन्त में घटकर 36.22 लाख रह गई है। विगत छःमाहियों में अभिसंधानित वनअपराधप्रकरणों में वसूली की स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

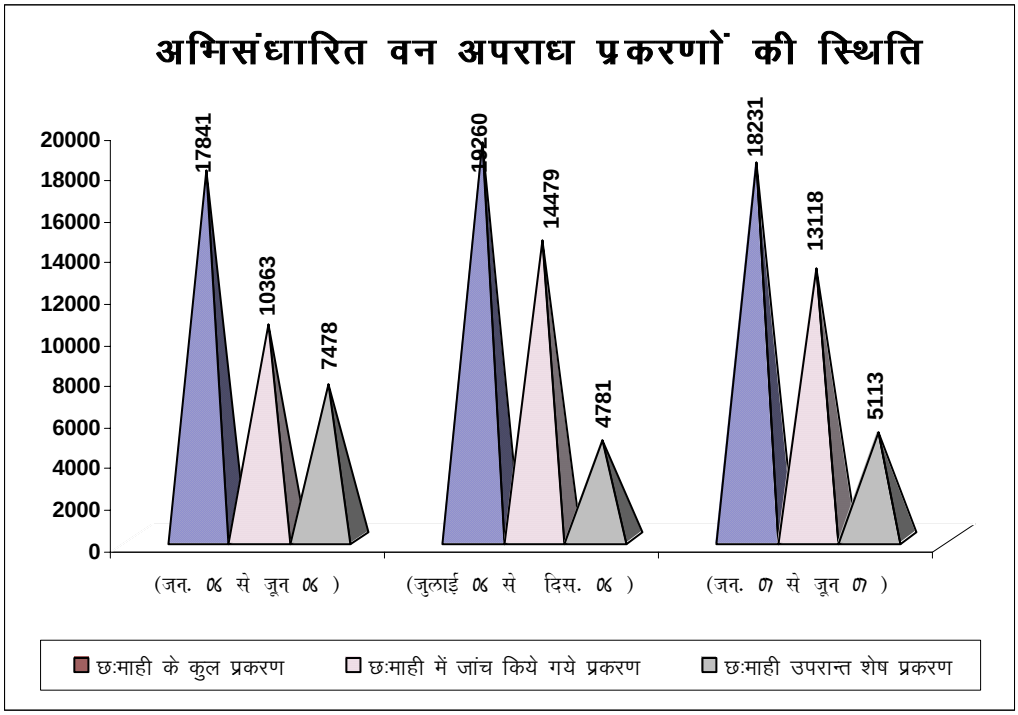

शासन निर्देशानुसार अब वन अपराध प्रकरणों में केवल अग्रिम वसूली ही की जाती है । इन निर्देशों के बावजूद भी बड़ी राशि की वसूली अभिसंधान के उपरान्त लम्बित है, जो यह दर्शाता है कि शासन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। रीवा (8.03 लाख), इन्दौर (11.03 लाख), बैतूल (4.77 लाख), भोपाल (2.83 लाख) वृत्तों में सर्वाधिक वसूली हेतु राशि शेष है। वृत्त वार विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र–5 में प्रेषित है।

वर्तमान में वन अपराध प्रकरणों में अग्रिम वसूली के निर्देश है तथा नियमानुसार अभिसंधान की राशि भू–राजस्व के एरियर की तरह वसूल नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में बिना पूर्व वसूली के वन अपराध प्रकरणों का अभिसंधान होना ही नहीं चहिये। क्योकि ऐसी

राशि के अपवचन कर्ताओ से वसूली नहीं की जा सकती। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होना चहिये कि बिना पूर्व वसूली के अभिसंधान ही न किया जाये और यदि कोई अपराधी राजीनामा की राशि नहीं देता है तो उसे कोर्ट में चालान किया जायें।

6– वन अपराधों में लिप्त वाहनों के राजसात की प्रकिया की स्थिति –

वन अपराधों में जप्त किये गये वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही सामान्यतः उप वन मण्डलाधिकारियों द्वारा की जाती है । वर्ष 2007 की प्रथम छः माही में वन अपराध में जप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही का वृत्तवार विस्तृत विवरण प्रपत्र–6 में दिया गया है। विगत छः माहियों में छः माही वार प्रगति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है।

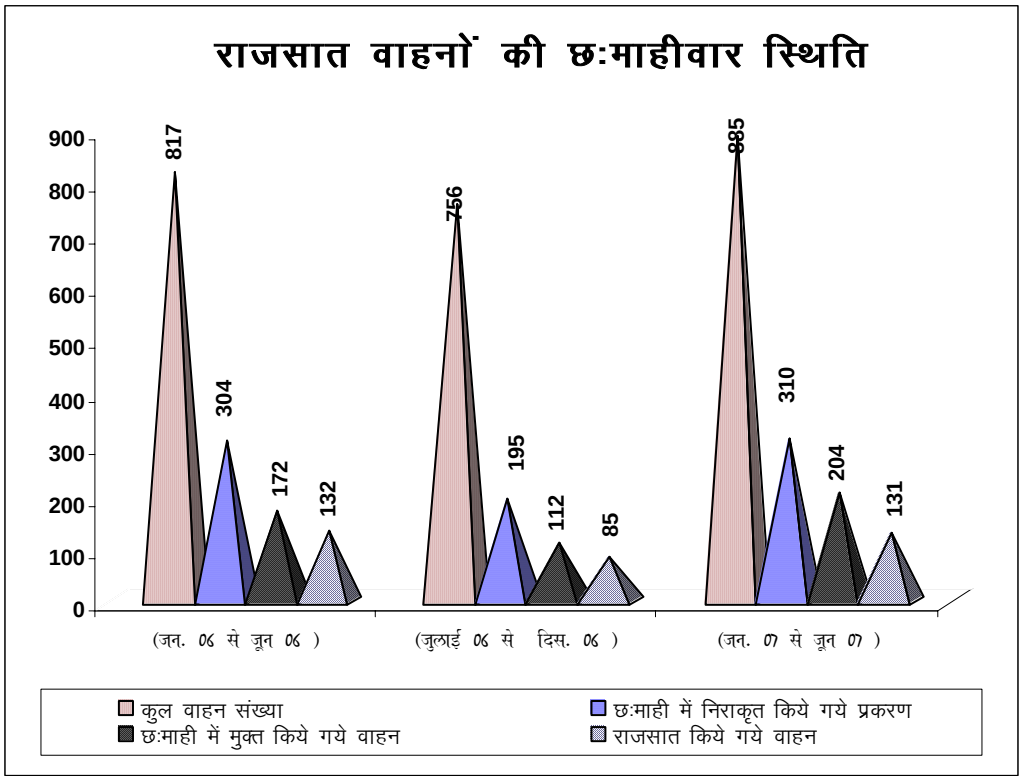

उपलब्ध आकड़ो से स्पष्ट है कि छः माहियों में निराकृत किये गये वाहनों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी कि राजसात होने हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों की संख्या। प्रत्येक छः माही में निराकरण में मुक्त होने वाले वाहनों की संख्या राजसात होने वाले वाहनों की संख्या से अधिक है। आकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक छः माही के अंत में शेष रहजाने वाले प्रकरणों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी नहीं आ पा रही है। इससे स्पष्ट है कि राजसात की कार्यवाही की गति काफी धीमी है।

प्रदेश में समीक्षा अवधि की पूर्व छैः माही में 523 प्रकरणों में 542 वाहनों के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही लम्बित थी तथा प्रथम छैः माही में 308 प्रकरणों में 343 वाहनों के विरूद्ध

कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस प्रकार प्रथम छैःमाही समीक्षा में 831 प्रकरणों में उप वन मण्डलाधिकारियों द्वारा राजसात की कार्यवाही की जाना थी, जबकि इसके विरूद्ध मात्र 310 प्रकरणों में ही कार्यवाही पूर्ण की गई । इसमें से भी 190 प्रकरणों में 85 वाहनों को राजसात किया गया, परन्तु 335 प्रकरणों में 204 वाहनों को छोड़ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि निर्मुक्त वाहनों की संख्या काफी अधिक है तथा संबंधित वन संरक्षक अपनी स्व प्रेरणा से संज्ञान लेने की शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति चिन्ता जनक है वृत्त वार विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र–6 में प्रेषित है।

समीक्षा में पाया गया कि ग्वालियर (64), शिवपुरी (31), रीवा (84), छतरपुर(50), जबलपुर (45), भोपाल (58) तथा उज्जैन (41) वृत्तों में उप वन मण्डलाधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निपटारा नहीं किया जा रहा है, जबकि इन्हीं वृत्तों में अवैध निकासी के अधिकांश प्रकरण होते हैं। समीक्षा में यह तथ्य भी सामने आया कि केवल मोटर वाहनों के प्रकरणों में ही राजसात की कार्यवाही के आदेश किये जाते हैं, जबकि बैलगाड़ी, साईकिल इत्यादि वाहनों को मात्र जप्त कर प्रकरण के कार्यवाही विवरण में ही उसको राजसात कर लिया जाता है। पृथक से कोई राजसात के आदेश नहीं किये जाते, ऐसी स्थिति में यदि आवेदक अपील करना चाहे तो उसके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहता और नियमों को ज्ञान नहीं होने से अधिकांश अपराधी अपील भी नहीं करते। एक तथ्य और भी परिलक्षित हुआ कि कई प्रकरणों में जप्ती के समय पर ही वाहनों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके विरूद्ध राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पर्याप्त आधार प्राप्त नहीं होते, जो कि नियम संगत नहीं है, क्योंकि जो भी वाहन जप्त किया गया है, उसको एक स्पीकिंग आदेश से ही छोड़ा जाना चाहिये ।

<u>सामान्य (Observation) अनुदेश</u> –

वनों की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्तानुसार की गई समीक्षा का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं को परिलक्षित करता है –

1. 2007 की प्रथम छःमाही में 171521 वृक्षो की कटाई हुई तथा 32773 प्रकरण पंजीबद्व किये गये । प्रतिवर्ष औसतन 343042 वृक्षो की कटाई हो रही है इनमें 21 से0मी0 गोलाई वृक्षों की संख्या सम्मिलित नहीं है जो सिरबोझ के कारण या निर्वाध चराई के कारण नष्ट होते है इतने बड़े पैमाने पर वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। वनरक्षको की भर्ती बंद है तथा अधिकांश वनरक्षक 50 वर्ष की ऊपर की आयु वर्ग के है

। यदि इस संबंध में तत्काल कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो वनो की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ना अवश्यंभावी है।

2. वनरहवासी अधिकारी अधिनियम 2005 के अधिनियमित होने के पश्चात वनभूमि के अतिक्रमण के प्रयास तेज हो गये है। कई अशासकीय संगठन, नक्सली संगठन एवं कुछ राजनैतिक दल भी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे है तथा ग्रामीण को भ्रमात्मक जानकारी देकर अधिक से अधिक वनभूमि अतिक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित कर रहे है इसके कारण 1 जुलाई 2006 से 31 दिसंबर 2006 के बीच 2322 प्रकरणो में 21613 हे0 नवीन वनभूमि का अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण के प्रकरण कुल वन अपराधो का 7 प्रतिशत होकर दूसरे नंबर पर रहा वर्तमान छःमाही में 346 प्रकरण में 1420 हे0 वनभूमि का अतिक्रमण हुआ है । जबकि यह अतिक्रमण का सामान्य समय नहीं है । प्रदेश के विभिन्न भागो में संगठित रूप से सामूहित अतिक्रमण की खबरे मिल रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विगत वर्ष की अपेक्षा अगली छःमाही में अतिक्रमण और तेज होगे और इसके लिये जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सतत सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी ।

3. आज भी काफी संख्या में वन अपराध कालातीत हो रहे है । विभिन्न कारणों से वर्तमान छःमाही में 5841 प्रकरण कालातीत हुये है इसका अर्थ है कि संबंधित वन संरक्षको एवं वन मण्डलाधिकारियों द्वारा वन अपराधो की सही समय पर सम्यक समीक्षा नही की जा रही है । वन अपराधो को सही तरीके से निराकरण कार्य के पर्यवेक्षण प्रथामिक जिम्मेदारी उप वन मण्डलाधिकारियो की है कालातीत होने की स्थिति में संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी सहित उनके अधिनस्थ समस्त दोषी कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाया जाना आवश्यक है तभी वन अपराध प्रकरणो की जांच, अभिसंधान एवं वसूली के मामले में गति आ सकेगी।

4. वन विभाग में वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहनो के निराकरण में दो प्रकार की प्रकिया उपलब्ध है– पहली प्रशमन की प्रकिया एवं दूसरी अधिहरण की प्रकिया । प्रकिया के बार मे निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही लिये जाने के पश्चात राजसात की कार्यवाही आरंभ की जाकर प्रपत्र–4 में उक्त प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता है । एक बार अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात वाहन या तो मुक्त हो सकता है या राजसात हो जाता है । वन अधिनियमो के वर्तमान प्रावधानो के अंतर्गत अपराध होने के ठोस सबूत होने की स्थिति में वाहन जप्त किया जाता है । इसमें अपराध का होना लगभग सिद्व रहता है सिर्फ मालिक या उसके एजेण्ट की मौनानूकुलता के अभाव मे ही छोडे जाने का प्रावधान है जो सिद्व करना अत्यंत कठिन है । इसके बावजूद 66

प्रतिशत वाहन मुक्त हो गये । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो प्राधिकृत अधिकारी गंभीर त्रुटि कर रहे है या वन विभाग के साक्षी जो अधिकांशतः वन कर्मचारी ही होते है, होस्टाईल हो रहे है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है । राजसात प्रकरणो में वन संरक्षको को स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने का अधिकार है परन्तु ऐसा लगता है की संबंधित वन संरक्षक अपने उक्त अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे है।

5. प्रदेश में वन अपराध बहुतायत में होते हैं, परन्तु इन अपराधों की वैज्ञानिक ढंग से विवेचना और अपराधियों को दण्डित करना व अन्य को वन अपराध करने से रोकने के संबंध में उपयुक्त विभागीय संसाधन उपलब्ध नहीं है तथा वन कर्मी इस प्रकार का कार्य करने के लिये प्रशिक्षित भी नहीं हैं । वन विभाग में कोर्ट में प्रकरणों की पैरवी करने हेतु न तो वन विभाग के लिये किसी विशेष अधिवक्ता ही उपलब्ध है और न ही वन विभाग के कर्मचारियों में इस हेतु अपेक्षित कुशलता ही विद्यमान है । अतः वन विभाग को वन अपराधों के लिये प्रत्येक जिले मे एक शासकीय अधिवक्ता की व्यवस्था होनी चहिये तथा मुख्यालय में भी एक विधि विशेषज्ञ की पदस्थिति होनी चहिये जो वन अपराधो के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण एवं सलाह दे सकें । वन कर्मचारियों को भी वन अपराधो के चालान के संबंध में ब्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चहिये ।

6. मोटर वाहनों से वनोपज की अवैध निकासी कड़े कानूनों के उपरान्त भी बड़े पैमाने पर हो रही है । ऐसी भी सूचनायें हैं कि नये तेजगति के वाहन जैसे बोलेरो इत्यादि केवल सागौन की अवैध काष्ठ को तत्काल इधर से उधर करने हेतु उपयोग में लाई जा रही हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि सागौन वन क्षेत्रों में व्यवसायिक काष्ठ की चोरी अभी भी विद्यमान है और इस पर अंकुश लगाने हेतु विभाग को अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करना होगी ।

7. वनों की सुरक्षा हेतु गठित वन समितियां समग्र रूप से वन कर्मियों को सहयोग करने में अग्रणी नहीं हैं । इसी प्रकार वन विभाग का गुप्तचर तंत्र जो वन अपराधों की सूचनायें उपलब्ध करा सकता है अभी भी प्रभावी नहीं है ।

8. फील्ड में पदस्थ वनपाल एवं वन रक्षक काफी समय से एक ही स्थान पर से पदस्थ है। कई वनरक्षको का तो 10 वर्ष से भी ज्यादा समय से स्थानांतरण नहीं हुआ है । स्थानीय अमले का काफी समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहना वन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है इससे वन अपराधों के नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है ।

9. संवेदनशील क्षेत्रो में वन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये समस्त संसाधनो से युक्त वन चौकियो की स्थापना की गई है । इसके लिये मुख्यालय से विस्तृत दिशा निर्देश भी

जारी किये गये है, परन्तु चौकियो के निरीक्षण में यह स्थिति समाने आई है कि चौकियो का उक्त निर्देशो के अनुसार संचालन नहीं किया जा रहा है । संबंधित वन संरक्षको को इस संबंध में विशेष ध्यान देकर चौकी व्यवस्था को सुद्वढ़ किये जाने की आवश्यकता है ।

सुझाव –

1. वनपाल एवं वनरक्षको की भर्ती पुनः शुरू की जायें ।
2. सामूहिक एवं संगठित अपराधो की रोकथाम के लिये जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का सतत एवं सक्रिय सहयोग वन विभाग को उपलब्ध कराया जायें ।
3. कालातीत प्रकरणों के लिये संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी सहित उनके अधिनस्थ समस्त दोषी कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही की जायें
4. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मुक्त वाहनो के प्रकरणो की वन संरक्षक द्वारा समीक्षा सुनिश्चित की जाये तथा होस्टईल होने वाले शासकीय कर्मचारियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायें ।
5. वन विभाग को मुख्यालय स्तर पर एक विधि विशेषज्ञ एवं प्रत्येक जिले में वन अपराधो की पैरवी के लिये शासकीय अधिवक्ता की सेवाये उपलब्ध कराई जायें तथा वनकर्मीयों को कोर्ट प्रकरणों की पैरवी एवं चालान के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाये ।
6. वन विभाग को और अधिक गाड़िया उपलब्ध कराये जायें, ताकि गतिशीलता बढ़ाई जा सकें ।
7. वन समितियों को सक्रिय किया जाये और गुप्तचर तंत्र मजबूत किया जायें ।
8. वनरक्षको/वनपालो की पदस्थिति की नियमित समीक्षा की जायें तथा एक ही स्थान पर काफी समय से पदस्थ वनरक्षको/वनपालो को अन्यत्र स्थानांतरित किया जायें । इस संबंध में स्थानांतरण के निर्धारित सीमा का प्रतिशत शिथिल किया जायें ।
9. वन संरक्षक वन चौकियों के संचालन के संबंध में समय–समय पर निरीक्षण/समीक्षा करें तथा चौकी व्यवस्था सुढ़ृढ करें ।

समीक्षा में परिलक्षित हुये समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये समस्त वन संरक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक वन मण्डल की एकीकृत वन सुरक्षा योजना बनायें,

जिसके अनुसार अतिसंवेदनशील, संवेदनशील तथा सामान्य वन क्षेत्रों की पहचान कर उनमें आवश्यकतानुसार सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये कर्मचारियों/अधिकारियों तथा ग्राम वन समितियों की सहभागिता से योजना बनायें। योजना अनुसार आवश्यक संसाधनों की मांग वे मुख्यालय से करें ताकि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन्हें संसाधन उपलब्ध कराकर वनों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके । इसी योजना अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक तथा छैःमाही समीक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है ताकि उपरोक्त सिस्टम में वनों की सुरक्षा के प्रति हर समय चैतन्यता तथा सजगता बनी रहे ।

संलग्न–समीक्षा प्रपत्र 6.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

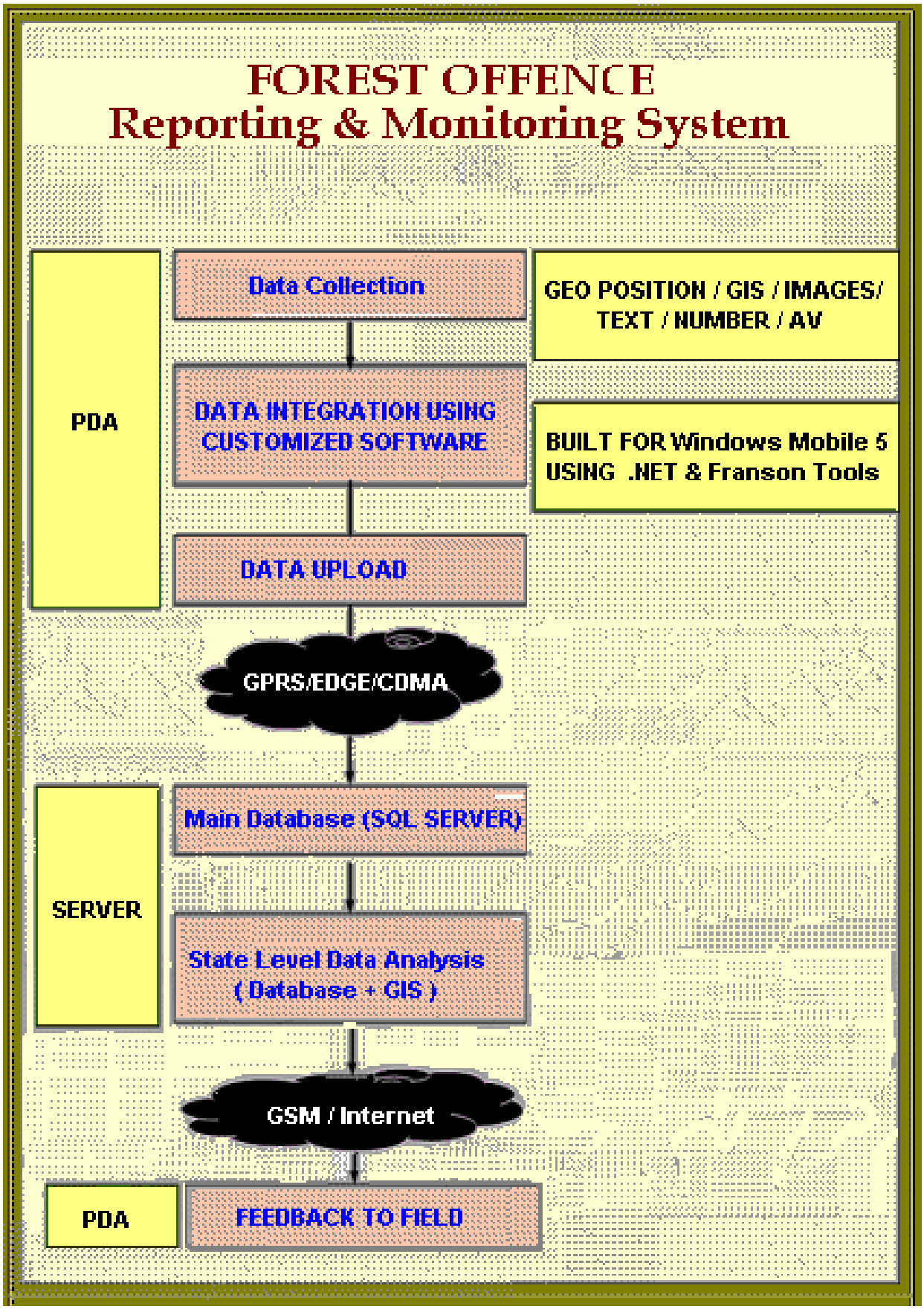
FOREST OFFENCE
Reporting & Monitoring System
PDA
Data Collection
GEO POSITION / GIS / IMAGES/
TEXT / NUMBER / AV
DATA INTEGRATION USING
CUSTOMIZED SOFTWARE
BUILT FOR Windows Mobile 5
USING .NET & Franson Tools
DATA UPLOAD
GPRS/EDGE/CDMA
SERVER
Main Database (SQL SERVER)
State Level Data Analysis
(Database + GIS)
GSM / Internet
PDA
FEEDBACK TO FIELD